

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक चूरु
क्रमांक- चूरु/विविध/2026/332

दिनांक 20/01/2026

वाहन नीलामी विज्ञप्ति

वाणिज्यिक कर विभाग में जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मों/व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिला चूरु के विभागीय नाकारा वाहन 67 (दुपहिया, चौपहिया एवं बड़े वाहन) वाहनों को नीलामी समिति की उपस्थिति में खुली बोली द्वारा दिनांक 19.02.2026 को प्रातः 10.00 बजे पर स्थान पुलिस लाइन चूरु मीटिंग हॉल पर नीलाम कर विक्रय किया जाएगा। उक्त नीलामी निर्धारित कमेट द्वारा की जाएगी। वाहन की नीलामी से सम्बन्धित पूर्ण शर्तें एवं वाहनों की सूची विभागीय वेबसाइट <https://www.police.rajasthan.gov.in> एवं चूरु पुलिस की वेबसाइट <https://churupolice.rajasthan.gov.in> तथा चूरु जिले के सभी पुलिस थानों, वृत्त कार्यालयों, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालयों एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है। इच्छुक बोलीदाता नाकारा वाहनों का अवलोकन किसी भी दिवस को पुलिस लाइन परिसर चूरु में कर सकते हैं।


(जय यादव)

उप महानिरीक्षक पुलिस
सह-जिला पुलिस अधीक्षक,
चूरु

क्रमांक 333-49

कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक चूरु

दिनांक 20/01/2026

—:संशोधित नीलामी:—

इस कार्यालय के पत्र संख्या 233-48 दिनांक 15.01.2026 के अनुसार जिला पुलिस चूरु के विभागीय नाकारा वाहन जिनका कुल पुस्तक मूल्य 21086950/-रुपये है, की सार्वजनिक नीलामी 'जहां है-जैसे है' की स्थिति के आधार पर दिनांक 05.02.2026 को प्रातः 10.00 बजे रिजर्व पुलिस लाईन चूरु परिसर में कमेटी सदस्यों की उपस्थिति में की जानी थी। जो कि अपरिहार्य कारण से अब दिनांक 19.02.2026 को प्रातः 10.00 बजे की जाएगी। उक्त दिनांक को वाणिज्यकर विभाग में पंजीकृत जीएसटी फर्म/बोलीदाता निर्धारित समय पर उपस्थित होकर निम्न नाकारा वाहनों हेतु वर्णित शर्तानुसार नीलामी में भाग ले सकते हैं -

क्र.सं.	वाहन संख्या	मैक	मॉडल	बुक वेल्यू	न्यूनतम बोली	सार्वजनिक नीलामी का स्थान, तिथि एवं अमानत राशि जमा करने का निर्धारित समय
1.	RJ10PA3455	मीनी बस	2011	1123226.52	200000.00	रिजर्व पुलिस लाईन चूरु दिनांक 19.02.2026 समय प्रातः 10.00 बजे
2.	RJ10PA4465	मीनी बस	2012	1144049.90	210000.00	
3.	RJ10PA5960	मीनी बस	2015	1245159.06	250000.00	
4.	RJ10UA3129	बोलेरो	2012	527880.43	80000.00	
5.	RJ10UA3133	बोलेरो	2012	527880.43	80000.00	
6.	RJ10UA3134	बोलेरो	2012	527880.43	80000.00	
7.	RJ10UA4316	बोलेरो	2013	541425.68	80000.00	
8.	RJ10UA4318	बोलेरो	2013	541425.68	80000.00	
9.	RJ10UA4321	बोलेरो	2013	541425.68	80000.00	
10.	RJ10UA3128	बोलेरो	2012	527880.43	85000.00	
11.	RJ10UA3130	बोलेरो	2012	527880.43	85000.00	
12.	RJ10UA4317	बोलेरो	2013	541425.68	90000.00	
13.	RJ10UA4319	बोलेरो	2013	541425.68	90000.00	
14.	RJ10UA4320	बोलेरो	2013	541425.68	90000.00	
15.	RJ10UA5379	बोलेरो	2015	559869.00	90000.00	
16.	RJ10UA6165	बोलेरो	2015	558780.00	92000.00	
17.	RJ10UA5403	बोलेरो	2015	559869.00	92000.00	
18.	RJ10UA6472	बोलेरो	2016	573619.88	92000.00	
19.	RJ10UA6507	बोलेरो	2016	573619.88	95000.00	
20.	RJ10GA8515	बोलेरो केम्पर	2015	531413.90	95000.00	
21.	RJ10UA5145	टवेरा	2014	879313.00	90000.00	
22.	RJ10UA6585	टवेरा	2016	686435.00	95000.00	
23.	RJ10UA3626	जीप थार	2012	443175.00	75000.00	
24.	RJ10UA3627	जीप थार	2012	443175.00	75000.00	

25.	RJ10UA5404	जीप थार	2015	496693.63	80000.00
26.	RJ10UA5378	जीप थार	2015	496693.63	80000.00
27.	RJ10UA6471	जीप थार	2016	532330.00	82000.00
28.	RJ10UA6970	जीप थार	2017	536936.63	85000.00
29.	RJ10UA3801	जीप थार	2012	493391.17	80000.00
30.	RJ10UA3802	जीप थार	2012	493391.17	80000.00
31.	RJ10UA3625	जीप थार	2012	443175.00	80000.00
32.	RJ10UA3628	जीप थार	2012	443175.00	80000.00
33.	RJ10UA4048	मारुती इक्को	2013	324000.00	40000.00
34.	RJ10SD0597	मोटरसाईकिल	2011	45277.00	5000.00
35.	RJ10SD0598	मोटरसाईकिल	2011	45277.00	5000.00
36.	RJ10SD0601	मोटरसाईकिल	2011	45277.00	5000.00
37.	RJ10SD0603	मोटरसाईकिल	2011	45277.00	5000.00
38.	RJ 10SF9867	मोटरसाईकिल	2013	53154.98	8000.00
39.	RJ 10SF9868	मोटरसाईकिल	2013	53154.98	8000.00
40.	RJ 10SF9869	मोटरसाईकिल	2013	53154.98	8000.00
41.	RJ 10SF9870	मोटरसाईकिल	2013	53154.98	8000.00
42.	RJ10SG8955	मोटरसाईकिल	2014	47832.73	8000.00
43.	RJ10SH1860	मोटरसाईकिल	2015	44335.85	8200.00
44.	RJ10SH1861	मोटरसाईकिल	2015	44335.85	8200.00
45.	RJ10SH1862	मोटरसाईकिल	2015	44335.85	8200.00
46.	RJ10SH1863	मोटरसाईकिल	2015	44335.85	8200.00
47.	RJ10SH2703	मोटरसाईकिल	2015	39537.35	8200.00
48.	RJ10SH2705	मोटरसाईकिल	2015	39537.35	8200.00
49.	RJ 10SJ0913	मोटरसाईकिल	2015	51208.51	8200.00
50.	RJ 10SJ0914	मोटरसाईकिल	2015	51208.51	8200.00
51.	RJ 10SJ0915	मोटरसाईकिल	2015	51208.51	8200.00
52.	RJ 10SJ0916	मोटरसाईकिल	2015	51208.51	8200.00
53.	RJ 10SJ0917	मोटरसाईकिल	2015	51208.51	8200.00
54.	RJ 10SJ0918	मोटरसाईकिल	2015	51208.51	8200.00
55.	RJ 10SJ0919	मोटरसाईकिल	2015	51208.51	8200.00
56.	RJ 10SJ0922	मोटरसाईकिल	2015	43431.18	8200.00
57.	RJ 10SJ2560	मोटरसाईकिल	2016	44376.09	8200.00
58.	RJ 10SJ2562	मोटरसाईकिल	2015	51208.51	8200.00
59.	RJ 10SJ2563	मोटरसाईकिल	2016	51208.51	8200.00
60.	RJ10SK3643	मोटरसाईकिल	2017	46355.00	8200.00
61.	RJ10SK3644	मोटरसाईकिल	2017	46355.00	8200.00
62.	RJ10SK3645	मोटरसाईकिल	2017	46355.00	8200.00
63.	RJ10SK3646	मोटरसाईकिल	2017	46355.00	8200.00
64.	RJ10SK3647	मोटरसाईकिल	2017	46355.00	8200.00
65.	RJ10SK3648	मोटरसाईकिल	2017	46355.00	8200.00
66.	RJ10SK3649	मोटरसाईकिल	2017	46355.00	8200.00
67.	RJ10SK3652	मोटरसाईकिल	2017	46355.00	8200.00

नीलामी की शर्तें

1. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक बोलीदाता को नीलामी से पूर्व उपरोक्तानुसार कमेटी द्वारा निर्धारित धरोहर राशि नगद/जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट देय जिला पुलिस अधीक्षक चूरु के नाम से जमा करवानी होगी। जो निर्धारित समय तक जमा की जावेगी। निर्धारित समय के पश्चात किसी भी सूरत में बोलीदाता से धरोहर राशि जमा नहीं की जावेगी। असफल बोलीदाता को धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी।
2. केवल जीएसटी पंजीकृत बोलीदाता/फर्म को ही नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए ईच्छुक बोलीदाता को बोली से पूर्व जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रतिलिपि निर्धारित धरोहर राशि के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
3. इस नीलामी विज्ञप्ति में नाकारा वाहनो की उक्त वर्णित सूचना एमटी शाखा पुलिस लाईन चूरु से प्राप्त कर दर्ज की गई है। तदनुसार इस विज्ञप्ति से नाकारा वाहनो संबंधी सूचना के प्रकाशन/लेखन में सावधानी बरती गई है फिर भी उक्त नाकारा वाहनो का अवलोकन बोलीदाता स्वयं बोली पूर्व अथवा मौके पर आवश्यक रूप से कर लेवें।
4. जिस बोलीदाता की अधिकतम/उच्चतम बोली होगी वही बोली स्वीकार की जायेगी, सफल/उच्चतम बोलीदाता को अंतिम सफल बोली (अधिकतम नीलामी राशि) की 1/4 (25%) राशि तुरन्त नीलामी दिवस को ही जमा करवानी होगी (धरोहर राशि का समायोजन किया जा सकेगा) एवं शेष 3/4 (75%) राशि मय जीएसटी राशि बैंक ड्राफ्ट/चालान के द्वारा नीलामी दिनांक से 10 (दस) दिवस के अन्दर जमा करवाकर सामान (नाकारा वाहनो) का उठाना होगा। बैंक ड्राफ्ट जिला पुलिस अधीक्षक चूरु के नाम से बनवाया जायेगा।
5. नीलामी होने वाले वाहनो की अमानत राशि 5000/- रुपये दुपहिया वाहन, 15000/- चौपहिया वाहन एवं 25000/- रुपये भारी वाहनो के लिए निर्धारित की गई है जो प्रत्येक वाहन के लिए अलग-अलग होगी। अमानत राशि दिनांक 18.02.2026 को दोपहर 02.00 बजे तक जिला पुलिस अधीक्षक चूरु को जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवानी होगी तत्पश्चात प्राप्त डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
6. नीलामी कमेटी को बिना कारण बताये नीलामी स्थगित करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा किसी बोली को बिना कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार नीलामी कमेटी अध्यक्ष/कमेटी के पास सुरक्षित होगा।
7. नीलामी में उचित मूल्य प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नीलामी रोकने/निरस्त करने का पूर्णाधिकार नीलामी कमेटी अध्यक्ष के पास सुरक्षित होगा।
8. समस्त प्रकार के कर (नियमानुसार देय) GST/CGST/SGST इत्यादि का भार बोली राशि के अतिरिक्त सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। सफल बोलीदाता को नियमानुसार प्रवृत्त समस्त प्रकार के राजकीय कर, फीस, जीएसटी एवं वैट आदि बोली राशि के अतिरिक्त जमा कराने होंगे।
9. नीलामी पश्चात सफल बोलीदाता को सरकार द्वारा निर्धारित जीएसटी कर निर्धारण दर से नियमानुसार जमा करवाकर चालान/रसीद प्रस्तुत करने पर ही वाहन ले जाने की अनुमति दी जावेगी।
10. उपरोक्त नाकारा वाहनो का निरीक्षण/अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में पुलिस लाईन चूरु में आकर किया जा सकता है।

11. नीलामी बोली समाप्त होने के बाद सम्पूर्ण बोली राशि मय जीएसटी राशि नियत अवधि में जमा होने पर सामान (नाकारा वाहनों) को नीलामी स्थान से अपने स्वयं के खर्चे पर ले जाना होगा, जिसके लिये इस विभाग द्वारा कोई परिवहन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।
12. नीलामी कार्यवाही पूर्ण होने के तत्काल बाद सामान की कमी, चोरी अथवा किसी भी क्षति के लिए संबंधित पार्टी/बोलीदाता/फर्म स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
13. नीलामी की अंतिम रूप से पुष्टि होने के उपरान्त सफल बोलीदाता द्वारा शेष 75 प्रतिशत राशि 10 दिवस के भीतर जमा नहीं करवायी जाती है, तो धरोहर राशि व 25 प्रतिशत जमा राशि जब्त राज कर ली जायेगी।
14. नीलामी बोली चोपहिया वाहन हेतु 1000 रुपये के गुणक में एवं दुपहिया वाहन हेतु 200/- के गुणक में बोली लगानी होगी/लगाई जायेगी।
15. नीलामी में भाग लेने वाले बोली बोलीदाता स्वयं पहचान दस्तावेज एवं स्थायी निवास स्थान की सत्यापित कॉपी जमा करवानी होगी।
16. नाकारा वाहन जहां है जैसी स्थिति में है, नीलाम किये जायेंगे। अतः बोली लगाने वाले से यह अपेक्षा की जाती है कि बोली दिनांक से पूर्व नाकारा वाहनों का पूरा परीक्षण स्वयं कर लें तथा नाकारा वाहनों के विवरण के बारे में अपने आपको संतुष्ट करने के उपरान्त ही बोली प्रक्रिया में भाग लें/बोली लगावें।
17. नीलामी से सम्बन्धित कोई भी कार्मिक नीलामी बोली में भाग नहीं ले सकेगा।
18. किसी भी कारणवश राजकीय अवकाश घोषित होने/किसी भी नीलामी सदस्य की अनुपस्थिति की स्थिति में नीलामी आगामी कार्यदिवस पर होगी।
19. प्रत्येक बोलीदाता को बोली लगाने से पूर्व नीलामी कमेटी द्वारा रखी गई शर्तें मान्य होगी। बोली लगाने वाले का किसी भी प्रकार का विवाद मान्य नहीं होगा किसी भी तरह का विवाद होने पर नीलामी समिति का निर्णय ही अंतिम होगा।
20. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार चूरू होगा।
21. शेष समस्त शर्तें सामान्य, वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार लागू होगी।
22. नकारा वाहन की बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने का अधिकार नीलामी समिति को है। नीलामी समिति अध्यक्ष बोली की स्वीकृति (पुष्टि) आने पर ही बोली को अंतिम माना जायेगा। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा नाकारा वाहन की उच्चतम बोली की पुष्टि नहीं की जाती है तो बोली निरस्त समझी जावेगी तथा उच्चतम बोलीदाता को अमानत/धरोहर राशि लौटा दी जावेगी तथा इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगी।
23. नीलामी प्रक्रिया से सम्बन्धित समस्त विवरण, नीलामी की शर्तें, नाकारा वाहनों की सूची, प्रकार, संख्या व अन्य संबंधित विवरण इत्यादि की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय चूरू के नोटिस बोर्ड/विविध शाखा/एमटी शाखा पुलिस लाइन चूरू जहां वाहन खड़े हैं से, कार्यालय समय में कभी भी प्राप्त की जा सकती है। उक्त विज्ञप्ति का अवलोकन पुलिस विभाग राजस्थान जयपुर की विभागीय वेबसाइट <https://www.police.rajasthan.gov.in> एवं जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की वेबसाइट <https://churupolice.rajasthan.gov.in> पर भी किया जा सकता है।

(जय यादव)

उप महानिरीक्षक पुलिस
सह-जिला पुलिस अधीक्षक,
चूरू

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण राज. जयपुर
2. श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस स्टेट क्राईम रिकार्ड्स ब्यूरो को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
3. श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस बीकानेर रेंज बीकानेर
4. श्रीमान जिला कलक्टर चूरु
5. पुलिस अधीक्षक केन्द्रीय भण्डर पुलिस मुख्यालय राज. जयपुर
6. श्रीमान आयुक्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राज जयपुर को भेजकर निवेदन है इस आदेश के संलग्न नीलामी विज्ञप्ति एक राष्ट्रीय स्तर अखबार व एक राज्य स्तरीय अखबार में दिनांक 27.01.2026 तक प्रकाशित करवाने का श्रम करावें।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) चूरु को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित है।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चूरु को प्रेषित कर निवेदन है कि कमेटी अध्यक्ष के रूप में उपस्थित होने का श्रम करें।
9. कोषाधिकारी कोष कार्यालय चूरु को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित है।
10. एम.टी.ओ. पुलिस लाईन चूरु को कमेटी सदस्य के रूप में उपस्थिति हेतु प्रेषित है।
11. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा/समस्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय/समस्त वृत्त कार्यालय एवं समस्त पुलिस थाना जिला चूरु।
12. सहायक लेखाधिकारी प्रथम व कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा नीलामी स्थल पर उपस्थिति देने हेतु।
13. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जिला चूरु को प्रेषित कर निर्धारित नीलामी तिथि को स्वयं अथवा अपना प्रतिनिधि भिजवाने हेतु।
14. सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी चूरु
15. प्रभारी सामान्य शाखा को उक्त विज्ञप्ति समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु।
16. प्रभारी लेखा शाखा कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त नीलामी कार्यवाही राजस्थान सरकार के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कराने हेतु सम्पूर्ण तैयारी के साथ नियत दिनांक, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


उप महानिरीक्षक पुलिस
सह—जिला पुलिस अधीक्षक,
चूरु